न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 433/2010

1. साहिना पत्नि जमशेद पुत्री उमर अली मुल्ला जाति मेव निवासी 5 नम्बर सोना खली तहसील बरान्ती पश्चिम बंगाल हाल आबाद ग्राम ईखनका तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. जसमीना
3. जानिस्ता
4. जुलेह खां पिसरान जमशेद जाति मेव नाबालिग जरिये वविलायत मुसा0 साहिना पत्नि जमशेद मेव माता खुद निवारी ग्राम ईखनका तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. जमशेद पुत्र मवासी
2. मुमताज पत्नि जमशेद
3. अयूब
4. उन्नस
5. हनीफ
6. साहून पिसरान मवासी
7. हाजरा बेवा मवासी
8. नफीसा पुत्री मवासी जाति मेव निवासी ग्राम ईखनका तहसील पहाडी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील पहाडी (भरतपुर)
10. उपपंजीयक पहाडी तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,91
,53 व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री बृजलाल शर्मा वकील वादीगण
श्री यशपाल सैनी वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7

दिनांक :– 06/05/2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89,91,53 व 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि पक्षकारान मुकदमा में से वादी संख्या 2,3,4 नाबालिग है जो अपनी पिता जमशेद द्वारा प्रताडित करने व परिवरिश नही करने के कारण अपनी खास माता मुसा0साहिना के संरक्षण के रहकर परवरिश पा रहे है। जिनके हितो व रक्षार्थ हेतु दावा उनकी माता नैसर्गिक संरक्षक की हैसियत से पेश किया जा रहा है। अन्य कोई भी शख्स नाबालिग या फातरूल अक्ल नही है। खाता संख्या 4 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 8/0.18, 10/0.08, 11/0.31, 216/0.20, 217/0.

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

16, 291/0.21, 325/0.04, 341/0.19, 345/0.26, 347/0.48, 373/0.07, 375/0.23, 443/0.25, 475/0.24, 496/0.43, 497/0.44, 499/0.70, 500/0.64, 603/154/0.40, 672/344/0.13, 673/344/0.13, 684/442/0.68, 702/491/0.57 एवं खाता संख्या 52 एव 52 में दर्ज खसरा नम्बर 478/0.49, 503/0.24, 505/0.23, 296/0.15, एवं खाता संख्या 126 में दर्ज खसरा नम्बर 444/0.32 हैक्टर बांके ग्राम ईखनका तहसील पहाडी व खाता संख्या 8 में दर्ज खसरा नम्बर 193 मिन 0.16, 216मिन/0.22, 219मिन/0.49, 630/0.28, 631/0.15, 643/0.32 एवं खाता संख्या 70 में दर्ज खसरा नम्बर 633/0.14, 634/0.18 हैकटर बांके ग्राम बडौदा तहसील पहाडी में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही मवासी ससुर व बाबा के परिवार के सदस्य है तथा मुकदमा एक ही परिवार के खास सदस्यो के बीच में होने एवं वादीगण का आराजी मुतदाविया में हित निहित होने के कारण व मुकदमे के सही हालातो को समझने के लिये पक्षकारान का सजरा निम्न प्रकार पेश है। वादनी संख्या 1 की पूर्व में शादी रूजदार पुत्र दानसिह जाति मेव निवासी ईखनका तहसील पहाडी के साथ हुई थी वादनी व रूजदार के बीच पारिवारिक मन मुटाव हो जाने के कारण अपनी स्वेच्छा से तलाक हो गया । रूजदार को तलाक देने के बाद वादनी नं0 1 अपने पैत्रिक गांव पश्चिम बंगाल में वापिस अपने पिता के पास चली गई। जहां से प्रतिवादी संख्या 1 अपने परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से वादनी संख्या 1 के पैत्रिक गांव से दिनांक 15/11/2005 को मुताबिक मुस्लिम रीति रिवाज के निकाह कर अपने ग्राम ईखनका तहसील पहाडी ले आया। वादनी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निकाह मुताबिक कानून रजिस्टर्ड हुआ था इस प्रकार वादनी प्रतिवादी संख्या 1 की कानूनन ब्याहता पत्नि है जिसको व उसके बच्चो वादीगण को मुताबिक कानून अपने पति व पिता के नाम दर्ज सम्पत्ति उसके साथ बराबर के हक व अधिकार प्राप्त होते है जिनकी रक्षार्थ हेतु वाद पत्र पेश है। दिनांक 15/11/2005 को वादनी संख्या 1 ने अपने पिता के यहां से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ निकाह करके बांके ग्राम ईखनका तहसील पहाडी में मवासी के परिवार में आ जाने के पश्चात एक ही परिवार में संयुक्त रूप से रहते हुये मवासी के नाम दर्ज आराजी को प्रतिवादीगण के साथ संयुकत रूप से काश्त करती चली आ रही है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वअर्जित आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 के नुत्फे से वादनी के 3 पुत्रियां वादनी संख्या 2,3,4 पैदा हुई। जो वादनी के साथ ही जीवन यापन करती चली आ रही हैं जिनकी परवरिश वादनी संख्या 1 करती चली आ रही है तथा वादनीगण के पास अपने जीवन यापन करने का एक मात्र साधन विवादित आराजी मुतदाविया है जिसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। वादनी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ निकाह कर वैध पत्नि बन जाने के बाद बतौर पत्नि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ पेशकर्दा जमाबन्दी बांके ग्राम ईखनका के खाता संख्या 4 में दर्ज खसरा नम्बरो के 1/5 हिस्सा, दर्ज हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं खाता संख्या 52 व 53 में दर्ज सालिम खसरा नम्बरान एवं खाता संख्या 126 में दर्ज खसरा नम्बरान के 1/2 हिस्सा तथा पेश कर्दा नकल जमाबन्दी बांके ग्राम बडौदा तहसील पहाडी के खाता संख्या 8 दर्ज खसरा नम्बरान के 1/5हिस्सा एवं खाता संख्या 70 में दर्ज खसरा नम्बरान के सालिम रकबा पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सम्मलित रूप से रहते हुये काश्त करती चली आ रही है तथा मौके पर इस वक्त भी वादनीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उसके नाम दर्ज खातेदारी की भूमि पर कब्जा व काश्त है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार दर्ज किया जा रहा है जिसके सबब प्रतिवादी संख्या 1 के दिल में बदयान्ती आ

(2)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

गई है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के साथ उचित व्यवहार व नाबालिग वादीगणों की परवरिश नहीं करता है बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 से दूसरी शादी करके वादीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये अन्य प्रतिवादीगणों की मिलीभगत से व वादनीगण को आराजी मुतदाविया में प्राप्त अधिकारो से वंचित करने के उद्देश्य से आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल करना चाहता है तथा वादीगण को जबरदस्ती लट्ठ व ताकत के बल पर बेदखल कर अन्य प्रतिवादीगण को कब्जा कराये जाने की फिराक मे है। जिसकी बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के साथ मारपीट कर घर से निकाल भी चुका है और यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण अपने अधिकारो से हमेशा–हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे। विधि वजह वादीगण दावेदार है और अपने आपको आराजी मुतदाविया मद नं0 2 वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी मुतदाविया के हिस्से पर उसके साथ वाहिस्सा के खातेदार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1के साथ वाहिस्सा बराबर के इन्द्राज दर्ज करा पाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्य प्रतिवादीगण की मिलीभगत से प्रतिवादी संख्या 2 को पत्नि बनाकर अपने घर ले आने के पश्चात दिनांक 27/10/2010 को वादनीगण को मारपीट कर जबरदस्ती घर से निकाल दिया जिसकी बाबत वादीगण द्वारा थाना पहाडी पर प्रतिवादीगण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है जो जेरे तहकीकात है जिससे बौखलाकर प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल कर राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन कराने की फिराक में है जिसकी बाबत प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दिनांक 16/11/2010 को ऐलानिया धमकी दी हैं यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण को ऐसी अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जेरे नकद या अन्य किसी प्रकार से न हो सकेगी। विधि वजह वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल करने से व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने व वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर अन्य लोगो को कब्जा नहीं कराने की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 3,4,5,6 के पिता व 7 के पति मवासी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जो अपने जीवन काल में खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता रहा और उसके फौत हो जाने के बाद उसके वारिस प्रतिवादीगण संख्या 1 ,3,4,5,6 अपने हिस्से के मुताबिक काबिज रहकार काश्त करते चले आ रहे है वादनी एवं वादीगण ने उक्त मुकदमा गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। जो हरसूरत में खारिज किये जाने योग्य है। जबकि वादनी व वादीगण का आराजी मुतदाविया से कोई संबन्ध किसी प्रकार का नहीं है और ना ही कभी रहा है वादनी प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि नहीं है और ना ही उसके साथ कोई निकाह किया है तथा वादीगण संख्या 2,3,4 प्रतिवादी संख्या 1 के बच्चे नहीं है यह औरत चालाक किस्म की है जो रूजदार की पत्नि है वादीगण उसके ही बच्चे है प्रतिवादी संख्या 1 का विवाह दिनांक 17/06/2007 को मुमताज महल के साथ ग्राम फतेहपुर कला तहसील नगर के साथ हुआ था और उसके एक लडका एक लडकी पैदा हुई जो प्रतिवादी संख्या 1 के साथ रह रहे है आराजी

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

मुतदाविया पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2,3,4,5,6 सभी अपने–अपने हिस्से के मुताबिक खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त कर रहे है वादीगण आराजी पर काश्त नहीं करते है ना ही वादीगण का आराजी मुतदाविया से कोई संबन्ध कभी रहा है । इस समय कोई संबन्ध नहीं है। वादनी व वादीगण प्रतिवादीगण के खातेदारी की जमीन को झूठे मुकदमे के आधार पर हडपना चाहती है और झूठा जमशेद की पत्नि बन रही है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 जमशेद का वादनी से कभी कोई संबन्ध किसी प्रकार का कभी नहीं रहा प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र भी कम है तथा ना ही वादनीगण संख्या 2,3,4 प्रतिवादी संख्या 1 के बच्चे है जबकि सच्चाई यह है कि वादनी रूजदार की पत्नि है और उसके ही वादीगण संख्या 2,3,4 बच्चे है और ना ही वादनी गांव ईखनका तहसील पहाडी में रहती है। दावा गलत तथ्यों के आधार पेश किया है जो हरसूरत में काबिले खारिजी है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादनी संख्या 1 का दिनांक 15/11/2005 को मुताबिक मुस्लिम रीति रिवाज के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के साथ रजिस्टर्ड निकाह हुआ था जिसके आधार पर वादनी प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है एवं वादनी संख्या 2,3,4 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व पुत्रियां है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादनी प्रतिवादी संख्या 1 से निकाह करने के बाद से उसके नाम दर्ज आराजी को उसके साथ वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया प्रतिवादी संख्या 1 ने दूसरी शादी करली है जिसके सवव वह वादनी व नाबालिग वादीगण की परवरिश नहीं करता है। जिसके सवव वादीगण जरिये अदालत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम इन्द्राज दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 4 :–</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से अपने हिस्सा रकबा के मुताबिक आराजी मुतदाविया का विभाजन करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 5 :–</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पावन्द करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 6 :–</u> आया वादनी व वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 जमशेद की पत्नि व बच्चे नहीं है। रूजदार की पत्नि व बच्चे है।

........प्रतिवादी

<u>7:– दादरसी :–</u>

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 साहिना , का शपथ पत्र पेश कर बयान कराये। दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 , फोटो प्रति मैरिज प्रमाण पत्र, फोटो प्रति एफआईआर, फोटो प्रति शपथ–पत्र रूजदार , फोटो प्रति जन्म प्रमाण पत्र, जसमीन– जुलेखां–जानिस्ता , फोटो प्रति आधार कार्ड , फोटो प्रति राशन कार्ड , फोटो प्रति बैंक पासबुक्स , विद्यालय का प्रमाण पत्र Exp.2 नकल फैसला दिनांक 12/04/2022 न्यायिक मजिस्ट्रेट कामाँ पेश किये। साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 1 जमशेद, डी0डब्लू0 2 साहबदीन, डी0डब्लू0 3 दीनमौहम्मद, पेश किये । दस्तावेजी साक्ष्य में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को प्रस्तुत रूजदार के राशन कार्ड लिये आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति Exd.1 ।जानिस्ता–जसमीन–जुलेखां के जन्म प्रमाण पत्र के संबन्ध में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त तहसीलदार पहाडी द्वारा प्राप्त सूचना दिनांक 29/09/2023 की प्रमाणित प्रति Exd.2। जन्म प्रमाण पत्र के संबन्ध में ग्राम पंचायत मूगस्का द्वारा जारी सूचना दिनांक 26/12/2023 की प्रमाणित प्रति Exd.3। ग्राम पंचायत मूंगस्का द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्टर की सूचना दिनांक 07/11/2022 की प्रति Exd.4 । जन्म रजिस्टर की प्रति Exd.5 । प्रतिवादी जमशेद व मुमताज महल का असल निकाहनामा Exd.6 पेश किये।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादनी संख्या 1 का दिनांक 15/11/2005 को मुताबिक मुस्लिम रीति रिवाज के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के साथ रजिस्टर्ड निकाह हुआ था जिसके आधार पर वादनी प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है एवं वादनी संख्या 2,3,4 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व पुत्रियां है।

उक्त तनकी सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । वादनी अपने आपको प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि बताते हुये उक्त वाद पेश किया है वादनी ने वाद पत्र में वर्णित किया है कि वादनी संख्या 1 साहिना की शादी पूर्व में रूजदार पुत्र दानसिंह जाति मेव निवासी ईखनका तहसील पहाडी के साथ हुई। रूजदार से तलाक होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से निकाह कर लिया। लेकिन वादनी ने रूजदार से हुये तलाक का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा वादनी ने विवाह प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा वादनी संख्या 1 वादीगण संख्या 2,3,4 को प्रतिवादी संख्या 1 की संतान बताते हुये उनके जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की है । वादनी संख्या 1 ने उक्त प्रकरण में रूजदार के बयान नहीं कराये है तथा विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है वह फोटो प्रति है जो साक्ष्य में ग्राह नहीं है। वादनी अपनी मौखिक साक्ष्य में कहा कि मेरी शादी रूजदार पुत्र दान सिंह से हुई है रूजदार मेरा पति है उक्त से भी यह स्पष्ट होता है कि वादनी संख्या 1 रूजदार की पत्नि है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

समर्थन में । दस्तावेजी साक्ष्य में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को प्रस्तुत रूजदार के राशन कार्ड लिये आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति Exd.1 प्रस्तुत किया है जिसमें परिवार के सदस्यों के कॉलम में रूजदार के साथ वादीगण के नाम दर्ज है तथा वादनी ने जो अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड पेश किया है उसमें पता सहसन दर्ज है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ईखनका का निवासी है। प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत स्वतन्त्र गवाहों ने भी साहिना को रूजदार की पत्नि माना है । साहिना ने अपने समर्थन में कोई स्वतन्त्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया । इसलिए दस्तावेज के अवलोकन से , मौखिक साक्ष्य से वादनी संख्या 1 रूजदार पुत्र दानसिंह की पत्नि होना प्रमाणित है।

वादीगण ने 2,3,4, के जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसमें वादी संख्या 2 जासमीन के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 20/07/2006 तथा आधार कार्ड में जन्म तिथि 01/01/2006, वादनी संख्या 3 जानिस्ता की जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 08/08/2007 आधार कार्ड में जन्म तिथि 01/01/2005 तथा वादी संख्या 4 जुले खां के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 25/10/2008 तथा आधार कार्ड में 01/01/2008 अंकित है। उक्त तीनो जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 28/04/2016 को जारी किये गये प्रतिवादी ने उक्त जन्म प्रमाण पत्र को गलत व फर्जी बताते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उक्त जन्म प्रमाणों के संबन्ध में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना दिनांक 29/09/2023 Exd.2 है। जिसमें सूचना अधिकारी ने अंकित किया है कि उक्त जन्म प्रमाण के सन्दर्भ में कोई भी रिकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा उक्त जन्म प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं किये गये। Exd.3 ग्राम पंचायत मूंगस्का तहसील पहाडी से चाही सूचना दिनांक 26/12/2023 है जिसमें सूचना अधिकारी ने अंकित किया है कि सम्पूर्ण रिकॉर्ड में अवलोकन से इस कार्यालय में कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं है। केवल जन्म रजिस्टर का रिकॉर्ड उपलब्ध है। Exd.4 जन्म रजिस्टर की प्रति है जो लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत मूंगस्का तहसील पहाडी द्वारा दिनांक 07/11/2022 को जारी की गई जिसमें वादी संख्या 2,3,4 के नाम अंकित है लेकिन सूचना दाता के कॉलम में, शपथ पत्र द्वारा अंकित किया गया है। जबकि Exd.3 सूचना इसी कार्यालय से जारी की गई है जिसमें रजिस्टर के अतिरिक्त कोई रिकॉर्ड नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त उक्त जन्म प्रमाण पत्रों पर जारी करने की तिथि 28/04/2016 अंकित है तथा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ 29/09/2016 की तिथि अंकित है। जो जारी करने की तिथि से 5 माह बाद की है। जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्डो में जन्म तिथि विरोधाभासी है। वादनी संख्या 1 ने अपनी साक्ष्य में कहा की मेरी सन् 1994 में रूजदार से हुई थी और मैं सन् 1994 से लेकर 2014 तक रूजदार के साथ रही । वकील प्रतिवादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2022 (2) पेज 1184, आर0बी0जे0 2022 पेज संख्या 138, आर0बी0जे0 2022 पेज 465, आर0आर0डी0 2017 पेज 148 पेश किये जो प्रकरण में बखूबी चस्पा होती है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादनी प्रतिवादी संख्या 1 से निकाह करने के बाद से उसके नाम दर्ज आराजी को उसके साथ वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है।

उक्त तनकी सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । तनकी संख्या 1 खिलाफ वादीगण साबित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया प्रतिवादी संख्या 1 ने दूसरी शादी करली है जिसके सवव वह वादनी व नाबालिग वादीगण की परवरिश नहीं करता है। जिसके सवव वादीगण जरिये अदालत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम इन्द्राज दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । समस्त दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से वादनी संख्या 1 रूजदार पुत्र दानसिंह की पत्नि है तथा वादीगण संख्या 2,3,4 रूजदार की ही सन्तान साबित है। इसलिए आराजी मुतदाविया वादीगण कोई डिक्री पाने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 4 :–</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से अपने हिस्सा रकबा के मुताबिक आराजी मुतदाविया का विभाजन करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91, 53 व 188 आर0टी0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है धारा 53 आर0टी0 एक्ट के तहत दावा एक सहखातेदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दावा विधि द्वारा वर्जित है । ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 5 :–</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । तनकी संख्या 1,2,3,4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त तनकी भी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 6 :–</u> आया वादनी व वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 जमशेद की पत्नि व बच्चे नहीं है। रूजदार की पत्नि व बच्चे है।

उक्त तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । वादनी संख्या 1 रूजदार पुत्र दान सिंह की पत्नि है इसे सिब्द्ध करने के लिये प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में राशन कार्ड का आवेदन पत्र Exd.1 प्रस्तुत किया है जिसमें परिवार के सदस्यो के कॉलम में रूजदार के साथ वादीगण का नाम अंकित है। वादनी ने मौखिक साक्ष्य में भी रूजदार को अपना पति माना है। प्रतिवादीगण की और प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में गवाहो ने वादनी को रूजदार की ही पत्नि माना है। वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विवाह प्रमाण पत्र, व रूजदार का शपथ पत्र फोटो प्रति है जो कि साक्ष्य में ग्राह नहीं है तथा वादनी ने रूजदार के बयान दर्ज नहीं कराये तथा रूजदार से हुआ तलाकनामा भी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण ने 2,3,4, के जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसमें वादी संख्या 2 जासमीन के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 20/07/2006 तथा आधार कार्ड में जन्म तिथि 01/01/2006, वादनी संख्या 3 जानिस्ता की जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 08/08/2007 आधार कार्ड में जन्म तिथि 01/01/2005 तथा वादी संख्या 4 जुले खां के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 25/10/2008 तथा आधार कार्ड में 01/01/2008 अंकित है। प्रतिवादी ने उक्त प्रमाण पत्रों को फर्जी बताते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Exd.2, Exd.3, Exd.4 , Exd.5 पेश किये जिनके अवलोकन से उक्त जन्म प्रमाण पत्रों की सत्यता पर संदेह होता है। वादनी संख्या 1 ने अपने बयानों में भी सन 1994 से लेकर 2014 तक रूजदार के साथ रहना बताया है। ऐसी स्थिति में वादीगण संख्या 2,3,4,रूजदार के ही बच्चे साबित होते है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

7:— दादरसी :— तनकी संख्या 1 ,2,3,4,5,6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :—

दावा वादीगण प्रमाणित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

सा